

अहका
की
कम

लाद श. 453/16

मनवान मालाशम/ वृलाशम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर
अहका
की
तामील


30/7/17

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं।

आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाजें दिलवाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

